हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019– 60198-205 शिमला–171009 दिनांक 18.9.2020.

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)2/2019–55399–405 दिनांक 27.08.2020 के अन्तर्गत, जिला हमीरपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त, जिला हमीरपुर की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला हमीरपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतू, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2–क) तथा धारा 3–क के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड नादौन						
1	चोड़ू	1.ठारू	जीहण मुख्यावास बढ़ेहतर	1.ठारू	1.पुज्याल	
		2.चोआ		2.चोआ	2.अमलैहड़ू	
		3.जमनोटी		3.जमनोटी	3.बूसल	
		4.सानणी		4.सानणी	4.टिकरू बरोटा	

		5.बढ़ेहतर		5.बढ़ेहतर	5.दवकेहड़	
		6.जंगल		6.जंगल	6.गण्डियाणा	
		7.जीहण		7.जीहण	7.चोआ चुकराला	
		8.सलासी		8.सलासी	8.मतियाल	
		9.बूम्बलू		9.बूम्बलू	9.तरेटी	
		10.पुज्याल			10.बडियार	
		11.अमलैहड़ू				
		12.बूसल				
		13.टिकरू बरोटा				
		14.दवकेहड़				
		15.गण्डियाणा				
		16.चोआ चुकराला				
		17.मतियाल				
		18.तरेटी				
		19.बडियार				
विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा						
2	चबूतरा	1.मनिहाल	मनिहाल	1.मनिहाल	1.धारड़ू	
		2.बुग्धार		2.बुग्धार	2.सवाहल	
		3.बल्ह		3.बल्ह	3.गुजरेड़ा	
		4.पसतल		4.पसतल	4.ग्रौड्डु रनोता	
		5.ग्रौड्डुघूमन		5.ग्रौड्डु घूमन	5.चबूतरा खास	
		6.बनधार		6.बनधार		
		7.धारड़ू				
		8.सवाहल				
		9.गुजरेड़ा				
		10.ग्रौड्डु रनोता				
		11.चबूतरा खास				
3	चारियां दी धार	1.भराईयां दी धार	पुर्ली	1.भराईयां दी धार	1.चारियां दी धार	
		2.जट्टां दी धार		2.जट्टां दी धार	2.रोपड़ी	
		3.चारियां दी धार		3.रांगड़ेयां दी धार	3.कुड्डुआं दी धार	ग्राम कुड्डुआं दी धार को ग्रा0पं0 जंदड़ू से अपवर्जित कर ग्राम सभा चारियां दी धार में सम्मिलित किया गया है।)
		4.रांगड़ेयां दी धार		4.पुर्ली		
		5.पुर्ली		5.लम्बरां दी धार		
		6.लम्बरां दी धार				
		7.रोपड़ी				

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज),

हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए(1)2/2019– 60198-205 शिमला–171009 दिनांक 18.9.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश, शिमला 02।
3. जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को 2 प्रतियों सहित (वर्तमान तथा नवगठित ग्राम सभाओं में रिकार्ड हेतू)।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019– 60206-212 शिमला–171009 दिनांक 18.9,2020.

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)2/2019–55591–596 दिनांक 28.08.2020 के अन्तर्गत, जिला हमीरपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त, जिला हमीरपुर की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला हमीरपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतू, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2–क) तथा धारा 3–क के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा						
1	सपाहल	1.चौरी	डूहक	1.छतरोडू	1.चौरी	
		2.सपाहल		2.डूहक	2.सपाहल	
		3.भेडू		3.कसीरी	3.भेडू	
		4.भटेड़			4.भटेड़	
		5.छतरोडू				
		6.डूहक				

		7.कसीरी				
विकास खण्ड भोरन्ज						
2	धिरड़	1.बैलग	पलपल	1.बैलग	1.धिरड	
		2.हडयाणी		2.हडयाणी	2.सौटा	
		3.पलपल		3.पलपल	3.भोगवां	
		4.नगरोटा		4.नगरोटा	4.खुराहल	
		5.धिरड़				
		6.सौटा				
		7.भोगवां				
		8.खुराहल				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए(1)2/2019– 60206-212 शिमला–171009 दिनांक 18.9 ,2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश, शिमला 02।
3. जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को 2 प्रतियों सहित (वर्तमान तथा नवगठित ग्राम सभाओं में रिकार्ड हेतू)।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019–60213-217 शिमला–171009 दिनांक 18.9.2020.

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)2/2019–57225–28 दिनांक 05.09.2020 के अन्तर्गत, जिला हमीरपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतू प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त, जिला हमीरपुर की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला हमीरपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतू, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2–क) तथा धारा 3–क के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड बमसन						
1	लम्बलू	1.खनैऊ	ड़वरेड़ा	1.ड़वरेड़ा	1.खनैऊ	
		2.घुराड़		2.डुगली	2.घुराड़	
		3.लम्बलू			3.लम्बलू	
		4.ठनकरी			4.ठनकरी	
		5.झटवाड़			5.झटवाड़	
		6.डवरेड़ा				

	7.डुगली				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए(1)2/2019– 60213-217 शिमला–171009 दिनांक 18.9.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश, शिमला 02।
3. जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को 2 प्रतियों सहित (वर्तमान तथा नवगठित ग्राम सभाओं में रिकार्ड हेतू)।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।